[2019] 2 एस. सी. आर 732

/

जोसेफ ईश्वरन वाप्पशेयर एंड ऑर्स।

बनाम

शर्ली कैथलीन व्हीलर (2019 की सिविल अपील संख्या 2284)

फरवरी 26,2019

/

[आर**.** एफ**.** नरीमन और वाइन सारन**,** जे**.** जे**.]**

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925:

धारा 372, 383, 33(क) और 25-यू/एस द्वारा दिए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को निरस्त करना।372 अपीलार्थी संख्या 1 के पक्ष में-प्रत्यर्थी ने आवेदन यू/एस दायर किया।383 उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को निरस्त करने की मांग करते हुए-उप-न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी परिवार के लिए बाहरी होने के नाते निरसन के लिए आवेदन को बनाए नहीं रख सकता है और चूंकि प्रत्यर्थी की मां द्वारा शुरू की गई वसीयत की जांच के लिए पिछली कार्यवाही समाप्त हो गई थी, इसलिए निरसन के लिए आवेदन को न्यायाधीश-उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था, संशोधन में न्यायाधीश-उच्च न्यायालय के संबंध में निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया गया और मामले को नए सिरे से तय करने के लिए उप-न्यायाधीश को भेज दिया गया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को केवल धारा 383 में उल्लिखित कारणों के लिए रद्द किया जा सकता है।383 वर्तमान मामले में संतुष्ट नहीं है-प्रत्यर्थी न तो परिवार का सदस्य है और न ही वंशानुगत-उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को रद्द करने से उप-न्यायाधीश ने सही ही इनकार कर दिया था-हालांकि उच्च न्यायालय न्यायिक आधार पर अपने निष्कर्ष में सही था, लेकिन उच्च न्यायालय को मामले को रिमांड करने के बजाय अन्य आधारों पर मामले का फैसला करना चाहिए था।

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया**:1.** उत्तराधिकार अधिनियम**, 1925** की धारा **383** अंतर्गत यू/एस प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।**372** धारा **383** में निर्धारित कारणों से ही इसे निरस्त किया जा

सकता है।निरसन तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि धारा **383** की उप**-**धारा **(**ए**)** से **(**ई**)** में से कोई एक संतुष्ट न हो जाए**,** जो वर्तमान अपील के तथ्यों पर मामला नहीं है।अतः यह स्पष्ट है कि केवल इसी आधार पर**,** उप**-**न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार दिए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को रद्द करने से इनकार करना उचित था।अन्यथा भी**,** यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी का वापशेयर परिवार से कोई लेना**-**देना नहीं है जो उसके धारा **383** आवेदन में उसके कथन से स्पष्ट है।**[**पैरा **9] [737-**जी**-**एच**]**

/

/

/

732 ए.

733

जोसेफ ईश्वरन वैपशेयर एंड ओआरएस. वी.शर्ली कैथलीन व्हीलर ए

2. धारा **33 (**ए**)** यह स्पष्ट करती है कि निर्वसीयत की संपत्ति केवल उसकी विधवा और उसके वंशजों को जाती है।चूँकि अपीलार्थी संख्या **1** के पिता की निर्वसीयत मृत्यु हो गई थी**,** इसलिए प्रोबेट के लिए आवेदन में स्थापित वसीयत कम हो जाने के बाद**,** अपीलार्थी अपने दो बेटों के साथ एकमात्र जीवित वंशानुगत वंशज है।इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी स्थिति में**,** प्रत्यर्थी को परिवार के सदस्य के रूप में या वंशावली के वंशज के रूप में इस तरह से दिए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अपास्त करते हुए में कोई दिलचस्पी नहीं होगी क्योंकि वह न तो परिवार की सदस्य है और न ही वंशावली की वंशज है।**[**पैरा **10] [738-**सी**-**डी**]**

/

3. यद्यपि उच्च न्यायालय न्यायपालिका पर अपने निष्कर्ष पर उप**-**न्यायाधीश के आदेश अपास्त करते हुए करने में सही था**,** लेकिन यह मामले का अंत नहीं था।उच्च न्यायालय को अन्य दो आधारों पर जाना चाहिए था**,** जिनका उप**-**न्यायाधीश ने समर्थन किया**,** जो उसने नहीं किया।**[**पैरा **10] [738-**ई**]**

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2019 की सिविल अपील संख्या 2284

/

सी. आर. पी. में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 23.03.2015 से। 2006 का (एन. पी. डी.) सं. 1261

आर. आनंद पद्मनाभन, रोमिल पाठक, प्रवाल चतुर्वेदी, सुश्री निशाका त्यागी, अरविंद सी. और शशि भूषण कुमार, उपस्थित पक्षों के वकील।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर**.** एफ**.** नरीमन**,** जे**.**

1) सेवा पूरी होने के बावजूद कोई भी प्रतिवादी के लिए उपस्थित नहीं होता है।

/

2) छुट्टी दे दी गई।

3) वर्तमान अपील 16.03.2005 पर अपीलार्थी के पक्ष में दिए गए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को रद्द करने की कार्यवाही से उत्पन्न होती है।

4) अपीलार्थी नंबर 1 एक गोर्डन वापशेयर का बेटा है।गोर्डन वापशेयर का एक भाई था जिसका नाम एडवर्ड वापशेयर था, जिसने एक बीट्रिस से शादी की थी।जाहिरा तौर पर, यह विवाह निष्फल रहा क्योंकि इससे कोई समस्या नहीं थी।उनकी दो बहनें भी थीं, जिनमें से एक मिस डूर्थी वापशेयर अविवाहित थीं, जो तब से मर चुकी हैं; और दूसरी मिस वायलेट वापशेयर, जो शादीशुदा थीं और उनकी एक बेटी है जिसका नाम एलेन मैरी जैक्सन है।गोर्डेन वापशेयर स्वयं विवाहित थे और उनके दो बेटे थे-जिनमें से एक हैं

/

/

734 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 2 एस. सी. आर.

अपीलार्थी नं. 1, और दूसरा बेटा जिसका नाम रॉबर्ट बाबू वापशेयर है, जो मर चुका है। अपीलार्थी नं. 1, बदले में, विवाहित है और उसके दो बेटे हैं।हमारे सामने प्रतिवादी सुश्री शर्ली कैथलीन व्हीलर को बीट्रिस की बेटी कहा जाता है, जो, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एडवर्ड वैपशेयर की पत्नी थी।

5) गोर्डेन वापशेयर की मृत्यु 18.01.1991 पर हुई।नतीजतन, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के अंतर्गत सिविल न्यायाधीश, नीलगिरी के न्यायालय के समक्ष 2005 की ओ. पी. संख्या 17 के अंतर्गत एक याचिका दायर की गई थी, जिसे याचिका की अनुज्ञात गई थी और अपीलार्थी को दिनांक 16.03.2005 का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिया गया था।प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 383 दिनांक 1 के अंतर्गत दायर एक आवेदन में इस तरह से दिए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए आवेदन किया।इस आवेदन

में, एक जवाबी शपथपत्र दायर किया गया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रतिवादी वापशेयर परिवार के लिए एक बाहरी व्यक्ति था क्योंकि वह बीट्रिस की बेटी थी और दूसरे पति से पैदा हुई थी, न कि एडवर्ड वापशेयर, जो गोर्डेन वापशेयर का भाई था, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

/

/

6) बीट्राइस ने 1993 में गोर्डन वापशेयर की वसीयत की जांच के लिए एक आवेदन दायर किया था, जो 1993 का ओ. पी. संख्या 55 था।बीट्राइस की मृत्यु 29.01.1999 पर हुई। यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस आवेदन को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था।किसी भी समय प्रत्यर्थी ने बीट्राइस के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसमें प्रतिस्थापित होने के लिए आवेदन नहीं किया।

/

7) दिनांक 10.04.2006 के एक आदेश द्वारा, उप-अदालत, नीलगिरी ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी, एडवर्ड वापशेयर की बेटी नहीं होने के नाते, एक बाहरी व्यक्ति था जो इसलिए, निरसन के लिए आवेदन को बनाए नहीं रख सकता था।उप-न्यायालय ने यह भी निर्णय लिया कि, किसी भी मामले में, चूंकि पिछली कार्यवाही समाप्त हो गई थी, इसलिए मामला पक्षों के बीच न्यायिक है।इसके बाद यह निर्णय लिया गयाः

/

/

“चूँकि ओ. पी. 17/05 में याचिकाकर्ता तत्कालीन मृत जी. ओ. वापशेयर के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हैं; न तो सुश्री एलेन मैरी जैक्सन और न ही इस आवेदन में वर्तमान याचिकाकर्ता उनकी सौतेली बहन को ओ. पी. 17/2005 दिनांक 16.3.2005 में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार था।इस आवेदन में उत्तरदाताओं की ओर से दिए गए साक्ष्य से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि मृतक जी. ओ. वापशेयर ने अपने जीवनकाल के दौरान कानूनी रूप से एक वल्लियम्मल से शादी की थी और एक लड़के को जन्म दिया था, जिसका नाम ईश्वरन था।इस आवेदन में प्रथम प्रतिवादी और जिसने बदले में इस आवेदन में द्वितीय और तृतीय उत्तरदाताओं को जन्म दिया।चूंकि, इस आवेदन में पहला प्रतिवादी ए है

/

/

जोसेफ ईश्वरन वैपशेयर एंड ओआरएस. वी.शर्ली कैथलीन व्हीलर [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

जी. ओ. वापशेयर के पुत्र और इस आवेदन में प्रथम प्रतिवादी के पुत्र होने के नाते दूसरे और तीसरे उत्तरदाता जी. ओ. वापशेयर के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हैं जो अकेले अचल वस्तुओं के साथ-साथ मृत जी. ओ. की चल वस्तुओं के उत्तराधिकारी होने के हकदार हैं। इस आवेदन में उत्तरदाताओं द्वारा वापशेयर पूरी तरह से स्थापित किया गया है।जी. ओ. वापशेयर द्वारा छोड़े गए किसी भी वसीयतनामे के अभाव में जी. ओ. वापशेयर की संपत्ति स्वाभाविक रूप से उनके बेटे जोसेफ ईश्वरन वापशेयर और उनके बेटों डब्ल्यू. ई. प्रिंस कुमार और डब्ल्यू. ई. प्रवीण कुमार के पास जाएगी, केवल तभी जब याचिकाकर्ता मैरी जैक्सन यह साबित करने में सक्षम होगी कि जी. ओ. वापशेयर ने G.D.Wapshare द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को विरासत में पाने के लिए एक वसीयत या अन्य वसीयतनामा छोड़ा है, इस याचिका में याचिकाकर्ता का दावा शरारतपूर्ण हो जाएगा क्योंकि इस आवेदन में याचिकाकर्ता खुद जानता है कि उसकी सौतेली बहन सुश्री एलेन मैरी जैक्सन का दावा पिछले मुकदमों O.S.No में है। 41/97,42/97 और 86/96 को निरस्त कर दिया गया। "

/

/

8) उक्त निर्णय के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी।दिनांक आई. डी. 1 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, मद्रास उच्च न्यायालय ने केवल एक बिंदु पर संशोधन की अनुज्ञात , अर्थात्, न्यायिक आधार पर उप-न्यायाधीश का निष्कर्ष गलत था।हालाँकि, इसने याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर ध्यान दिया कि, किसी भी स्थिति में, निरसन आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था और, किसी भी मामले में, गोर्डन वैपशेयर का प्रत्यक्ष वंशज नहीं होने के कारण, प्रतिवादी, किसी भी स्थिति में, गोर्डन वैपशेयर की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था।इसलिए उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश को दरकिनार कर दिया और पक्षों को सुनने के बाद मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उप-न्यायाधीश को भेज दिया।

/

/

9) अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री आर. आनंद पद्मनाभन ने हमें बड़ी मेहनत से रिकॉर्ड के माध्यम से लिया है और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया है। सबसे पहले उक्त अधिनियम की धारा 372 निर्धारित करना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है।धारा 372 इस प्रकार हैः

/

“372. प्रमाण पत्र के लिए आवेदन।- (1) ऐसे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जिला न्यायाधीश को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित तरीके से आवेदक द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और सत्यापित याचिका द्वारा किया जाएगा, ताकि किसी वादी द्वारा या उसकी ओर से शिकायत पर हस्ताक्षर और सत्यापन किया जा सके और निम्नलिखित विवरण दिए जा सकें, अर्थात्:-

/

(क) मृतक की मृत्यु का समय;

/

(ख) मृतक की मृत्यु के समय उसका सामान्य निवास और यदि ऐसा निवास उस न्यायाधीश की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं था, जिसके लिए आवेदन किया गया है, तो उन सीमाओं के भीतर मृतक की संपत्ति;

(ग) मृतक के परिवार या अन्य निकट संबंधी और उनके संबंधित निवास;

/

((घ) वह अधिकार जिसमें याचिकाकर्ता दावा करता है;

(ई) धारा 370 के अंतर्गत या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत किसी भी बाधा का अभाव, प्रमाण पत्र के अनुदान या इसकी वैधता के लिए यदि यह दिया गया था; और

/

(च) वे ऋण और प्रतिभूतियाँ जिनके संबंध में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है।

(2) यदि याचिका में कोई ऐसा कथन है जिसे सत्यापित करने वाला व्यक्ति जानता है या गलत मानता है, या सच नहीं मानता है, तो उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 198 के अंतर्गत अपराध करने वाला माना जाएगा।

/

(3) इस तरह के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन मृत लेनदार को देय किसी भी ऋण या ऋण के संबंध में या उसके भागों के संबंध में किया जा सकता है। "

/

समान रूप से, यदि इस तरह के प्रमाण पत्र को रद्द किया जाना है तो धारा 383 के अंतर्गत कोई भी आधार बनाए जाने पर इसे रद्द किया जा सकता है।अधिनियम की धारा 383 नीचे दी गई है:

"383. प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण।- इस भाग के अंतर्गत दिए गए प्रमाण पत्र को निम्नलिखित कारणों में से किसी के लिए रद्द किया जा सकता है, अर्थात्:- (क) कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही सार में दोषपूर्ण थी;

/

(ख) कि प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से एक गलत सुझाव देकर, या मामले की कुछ सामग्री को न्यायालय से छिपाकर प्राप्त किया गया था;

/

(ग) कि प्रमाण पत्र किसी ऐसे तथ्य के असत्य आरोप के माध्यम से प्राप्त किया गया था जो उसके अनुदान को उचित ठहराने के लिए विधि के दृष्टिकोण से आवश्यक है, हालांकि ऐसा आरोप अज्ञानता में या अनजाने में लगाया गया था;

(घ) कि प्रमाणपत्र परिस्थितियों के कारण बेकार और निष्क्रिय हो गया है; क

/

737

जोसेफ ईश्वरन वैपशेयर एंड ओआरएस. वी.शर्ली कैथलीन व्हीलर [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

(ङ) कि प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट ऋण या प्रतिभूतियों के प्रभावों के संबंध में किसी वाद या अन्य कार्यवाही में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा की गई डिक्री या आदेश यह उचित बनाता है कि प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाना चाहिए। "

इस मोड़ पर, धारा 33 (ए) को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है:

/

"33.(क) यदि उसने कोई वंशानुगत वंशज भी छोड़ा है, तो उसकी संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा उसकी विधवा का होगा, और शेष दो-तिहाई उसके वंशानुगत वंशजों के पास जाएगा, इसके बाद के नियमों के अनुसार।

"वंशानुगत वंशज" अभिव्यक्ति में अधिनियम की धारा 25 का संदर्भ है जो नीचे दी गई है:

/

“25. लाइनल कॉन्संगुइनिटी।- (1) रैखिक समानुभूति वह है जो दो व्यक्तियों के बीच रहती है, जिनमें से एक दूसरे से सीधी रेखा में उतरता है, जैसे कि एक आदमी और उसके पिता, दादा और परदादा के बीच, और इसलिए ऊपर की ओर सीधी आरोही रेखा में, या एक आदमी और उसके बेटे, पोते, परपोते के बीच और सीधे अवरोही रेखा में नीचे की ओर।

/

(2) प्रत्येक पीढ़ी एक डिग्री का गठन करती है, या तो आरोही या अवरोही।

(3) एक व्यक्ति के पिता प्रथम श्रेणी में उससे संबंधित होते हैं, और इसी तरह उसका बेटा भी; द्वितीय श्रेणी में उसके दादा और पोते; तृतीय श्रेणी में उसके परदादा और परपोते, और इसी तरह। "

/

उत्तराधिकार अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उस आवेदन में दिया जा सकता है जिसमें धारा 372 में उल्लिखित आवश्यक विवरण दिए गए हैं।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा किए गए आवेदन में उपरोक्त विवरण दिए गए हैं।धारा 383 अंतर्गत इस तरह से दिए गए प्रमाण पत्र को केवल उक्त धारा में बताए गए कारणों के लिए रद्द किया जा सकता है।यह ध्यान दिया जाएगा कि निरसन तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि धारा 383 की उप-धारा (ए) से (ई) में से कोई भी संतुष्ट न हो जाए, जो इस अपील के तथ्यों पर मामला नहीं है।अतः यह स्पष्ट है कि केवल इसी आधार पर, विद्वान उप-न्यायाधीश ने इस प्रकार दिए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को रद्द करने से इनकार कर दिया था।अन्यथा भी, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी का वापशेयर परिवार से कोई लेना-देना नहीं है।यह उनके धारा 383 आवेदन में उनके कथन से स्पष्ट हो जाता है जिसमें, पैरा 1 में, उन्होंने कहाः

/

/

/

738 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 2 एस. सी. आर.

“1. याचिकाकर्ता श्रीमती शर्ली कैथलीन व्हीलर, दिवंगत श्री ए. जे. व्हीलर की पत्नी और स्वर्गीय श्रीमती बीट्रिस वापशेयर की बेटी, लगभग 68 वर्ष की आयु की ईसाई, एक ब्रिटिश नागरिक और 43, कटन्स कॉर्नर, हेम्ब्लिंटन, नॉरफ़ॉक-एन. आर. 134 पीएस, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में स्थायी निवासी हैं और वर्तमान में कॉम्पटन एस्टेट, नडुवट्टम पोस्ट, नीलगिरी जिले के उधगमंडलम में हैं। "10) यह देखा जाएगा कि प्रतिवादी खुद को दिवंगत A.J.Wheeler की पत्नी और केवल दिवंगत बीट्रिस वैपशेयर की बेटी के रूप में वर्णित करता

है।एडवर्ड वैपशेयर का नाम इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह किसी भी तरह से एडवर्ड वैपशेयर की वंशज नहीं थी और इसलिए, उसका वैपशेयर परिवार से कोई लेना-देना नहीं था।इसके अलावा, चूंकि गोर्डन वापशेयर की निर्वसीयत मृत्यु हो गई थी, इसलिए वसीयत को प्रोबेट के लिए आवेदन में स्थापित किया जा रहा है, धारा 33 (ए) यह स्पष्ट करती है कि निर्वसीयत की संपत्ति केवल उसकी विधवा और उसके वंशजों को जाती है। अपीलार्थी आज गोर्डेन वापशेयर के अपने दो बेटों के साथ एकमात्र जीवित वंशानुगत वंशज है। इससे यह फिर से स्पष्ट हो जाएगा कि, किसी भी स्थिति में, प्रत्यर्थी को वैपशेयर परिवार के सदस्य के रूप में या एक वंशानुगत वंशज के रूप में इस तरह से दिए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अपास्त करते हुए करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी क्योंकि वह न तो परिवार की सदस्य है और न ही एक वंशानुगत वंशज है जैसा कि ऊपर कहा गया है।यह केवल जोड़ा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने उप-न्यायाधीश के आदेश अपास्त करते हुए करने में सही था, लेकिन यह मामले का अंत नहीं था।उच्च न्यायालय को अन्य दो आधारों पर जाना चाहिए था, जिनका उप-न्यायाधीश ने समर्थन किया, जो उसने नहीं किया।

/

/

/

/

11) यह मामला होने के कारण, हम उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करते हैं और विद्वान उप-न्यायाधीश के निर्णय को बहाल करते हैं।

/

12) तदनुसार, अपील की अनुज्ञात जाती है।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील अनुज्ञात ।

/

/